स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं 2277,
पलारीवट्टम। पी.ओ., कोच्ची - 682025
दूरभाष: 0484-2333610 से 616 तक, 2347965
फैक्स : 0484 - 2341935

अधिसूचना नं. 26 -प्रशासन/नियुक्ति/07/2022-23

संविदा आधार पर कार्यालय सहायक की नियुक्ति

स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में परिनियोजन के लिए संविदा आधार पर कार्यालय सहायाक की नियुक्ति के लिए स्पाइसेस बोर्ड पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए होगी और प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति और पात्रता निकष के विस्तृत निबंधन और शर्तें नीचे दिए गए हैं:

1	कार्यालय सहायाक की अपेक्षित संख्या	1 (एक)
2	शैक्षिक योग्यताएँ (अनिवार्य)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से डिग्री (नियमित पाठ्यक्रम)।
3	अनुभव (अनिवार्य)	कार्यालय के काम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव
4	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो।
5	पारिश्रमिक	25,000/- रु. (निश्चित)
6	नियुक्ति की अवधि	एक वर्ष जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है
7	चयन विधि	चयन लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार के आधार पर होगा
8	साक्षात्कार का स्थान, तारीख व समय	स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची तारीख व समय यथासमय सूचित किया जाएगा।
9	आवेदन प्राप्त करने का तरीका	ऑनलाइन

आवेदन की प्स्तुति: पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन में प्रस्तुत कर सकते हैं। **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.12.2022 है।** किसी अन्य तरीके प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक नीचे दी गई है:

लिंक: https://spicesboard.in/recruitment/

चयन की विधि: शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा और/या साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों की एक रैंक लिस्ट बनाई जाएगी और बोर्ड की अपेक्षानुसार कार्यालय सहायक के रूप मं नियुक्त कर दी जाएगा। रैंक लिस्ट की वैध्यता एक वर्ष के लिए होगी।

निदेशक(प्रशासन)

तारीख: 07 दिसंबर, 2022

<u>उम्मीदवारों के लिए अनुदेश :</u>

1. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपरोक्त पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
2. उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन में प्रस्तुत करना है।किसी अन्य तरीके प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. परीक्षा/साक्षात्कार के लिए शोर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार की **तारीख व समय** यथासमय सूचित की जाएगी।
4. आयु, योग्यता आदि से संबंधित आवेदकों की पात्रता आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
5. अनुभव की अवधि की गणना निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ प्राप्त होने के बाद की जाएगी।
6. आवेदकों से अनुरोध करता है कि स्पाइसेस बोर्ड से संदेश प्राप्त करने के लिए वे अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. सक्रिय रखें।
7. उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरी तरह से संविदा आधार पर होगी और किसी भी परिस्थिति पर नियमित नियुक्तियों से जुड़ी नहीं है और किसी भी स्तर पर नियमित नहीं की जा सकती है।
8. चयनित उम्मीदवार को 200/- रु. के स्टांप कागज़ पर एक करार निष्पादित करना होगा।
9. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों)

को छुपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी **रद्द मानी जाएगी**। यदि चयन के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

10. किसी भी तरह का अनुयाचन अयोग्यता होगी।
11. उम्मीदवारों को, अद्यतन सूचना हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com में अधिसूचना/अवसर पेज जांच करने और किसी तीसरी पार्टी की वेबसाइट पर भरोसा न करने की सलाह दी जाती है।

स्पाइसेस बोर्ड में कार्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. देय पारिश्रमिक प्रति माह 25,000/- रू. होंगे। एक महीने में प्रदान की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक उत्तरवर्ती महीने में देय होगा।

2. नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष केलिए होगी और अपेक्षा के अनुसार और उनके निष्पादन के आधार पर आगे एक और वर्ष केलिए बढ़ाई जा सकती है।

3. कार्यालय सहायक महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।

4. परीक्षा/साक्षात्कार, कार्य में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राहय नहीं होगा। फिर भी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित है तो, उसी ग्रेड के नियमित कर्मचारी केलिए ग्राहय यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।

5. कार्य समय: कार्यालय सहायक निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा **(अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।**

6. अवकाश: यथानुपात आधार पर कार्यालय सहायक एक कलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर, बारह (12) दिनों के अवकाश केलिए पात्र होगा। कार्यालय सहायक को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।

7. स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को कार्यालय सहायक के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

8. नियुक्ति की अवधि के दौरान, कार्यालय सहायक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के मदों में भाग लेना होगा।

9. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

10. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई सूचना जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. नियुक्ति का समापन: स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित स्थितियों में कार्यालय सहायक की नियुक्ति समाप्त करेगा:

(क) कार्यालय सहायक निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है;

(ख) कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है;

(ग) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर उपलब्ध कराने में कार्यालय सहायक विफल रहता है;

(घ) का कार्यालय सहायक में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है।

नोट: बोर्ड को पास परामर्शदाता वित्त को 15 दिन की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के 15 दिन के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

……………..